प्रेस नोट – मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 02-11-2026

ऑपरेशन कन्विक्शन: अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर अभियुक्तों को सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी, 02 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹10-10 हजार के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायालय से अधिकतम एवं कठोर दण्ड दिलाए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली के निर्देशानुसार तथा श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालन के मामले में अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना कटरा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण की निरन्तर एवं प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों एवं गवाहों को समयबद्ध रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखा गया। इसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे-05, शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. कल्लू उर्फ कालीचरन पुत्र कुन्दनलाल निवासी ग्राम हरयारपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर एवं 2. रामदास पुत्र शिवदयाल निवासी ग्राम अहियापुर, थाना कटरा, जनपद शाहजहाँपुर को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹10-10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरण-

दिनांक 29.04.2023 को उ0नि0 इतेश तोमर मय पुलिस टीम गश्त पर थे। इसी दौरान खुदागंज रोड स्थित पेट्रोल पम्प पर पहुँचने पर मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम कटैया-शाहपुर नहर पटरी पर बन्द पड़ी मेन्था फैक्ट्री की दीवार से लगे एक कमरे में कुछ व्यक्ति अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, जहाँ मौके पर दो व्यक्ति अवैध शस्त्र बनाने के उपकरणों की सहायता से तमंचे एवं रायफल आदि बनाते हुए मिले। पुलिस टीम द्वारा दोनों व्यक्तियों को मौके पर ही पकड़कर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम 1. कल्लू उर्फ कालीचरन पुत्र कुन्दनलाल निवासी ग्राम हरयारपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर एवं 2. रामदास पुत्र शिवदयाल निवासी ग्राम अहियापुर, थाना कटरा, जनपद शाहजहाँपुर बताया। अभियुक्तों द्वारा अवैध शस्त्र बनाकर बेचने की बात बताई गई। पुलिस टीम द्वारा मौके से अभियुक्तों को हिरासत में लेते हुए बरामद अवैध शस्त्र एवं शस्त्र बनाने के उपकरणों को नियमानुसार कब्जे में लिया गया तथा थाना कटरा पर आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान संकलित भौतिक एवं मौखिक साक्ष्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण में निरन्तर एवं प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹10-10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त अभियुक्त का विवरण-

1.कल्लू उर्फ कालीचरन पुत्र कुन्दनलाल निवासी ग्राम हरयारपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

2. रामदास पुत्र शिवदयाल निवासी ग्राम अहियापुर थाना कटरा जनपद शाहजहापुर।

अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 211/2023, धारा 5/25 आयुध अधिनियम, थाना कटरा, जनपद शाहजहाँपुर।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर अवैध शस्त्रों का निर्माण एवं विक्रय किए जाने का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस टीम द्वारा मौके पर दबिश देकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा मौके से अवैध शस्त्र एवं शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए थे। उक्त प्रकरण में थाना कटरा पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों एवं उपलब्ध साक्ष्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण कल्लू उर्फ कालीचरन एवं रामदास को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹10-10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता-

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुँचाने के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उन्हें कठोर दण्ड दिलाने की कार्यवाही निरन्तर जारी है। ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से अपराधियों में कानून का भय स्थापित करने एवं आमजनमानस में सुरक्षा का विश्वास कायम करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।